अनुदान संख्या 18 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 18 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	203,01,00		203,02,00	174,74,24	-28,27,76
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					24,68,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	46,00,00		95,36,00	95,06,86	-29,14
पूरक	Supplementary	49,36,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					17,09

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/आधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"					
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services					
मू.	O.	12428.00		10696.81	10520.73	-176.08
पु.	R	-1731.19				
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"					
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services					
मू.	O.	7873.00				
पू	S.	1.00		7137.19	6953.51	-183.68
पु.	R.	-736.81				

(I) ₹533.10 लाख का प्रावधान (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹527.80 लाख मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹533.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakhs obtained in March, 2011) remained wholly unutilised under five heads; of these ₹527.80 lakhs accounted for under Major Head "3475" – under the following heads:-

(का) "एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणालियों का विनियमन - एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली आयोग" - ₹371.86 लाख एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली आयोग का अक्तूबर, 2009 में विघटन किए जाने के कारण थे।

(A) "Regulation of Monopolies and Restrictive Trade Practices – Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission" – ₹371.86 lakhs – due to dissolution of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission in October, 2009.

(खा) "अन्य व्यय - अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक" - ₹155.94 लाख अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक का अक्तूबर, 2009 में विघटन किए जाने के कारण थे।

(B) "Other Expenditure – Director General of Investigation and Registration" – ₹155.94 lakhs – due to dissolution of Director General of Investigation and Registration in October, 2009.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कोरपोरेट कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1907.27 लाख की बचत (₹12428.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Corporate Affairs" - saving of ₹1907.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12428.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to less utilization of funds by Competition Commission of India and National Informatics Centre and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "3475" - संयुक्त स्टाक कम्पनियों का विनियमन - कम्पनी अधिनियम के अधीन सरकारी परिसमापक" के अंतर्गत ₹401.10 लाख की बचत (₹1595.84 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए परिसरों को 28 कि.वा. अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने, रांची में वर्कस्टेशन स्थापित न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3475"- "Regulation of Joint Stock Companies – Official Liquidator under Companies Act" – saving of ₹401.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1595.84 lakhs) was due to non receipt of administrative approval for providing additional power of 28 KW to new premises, non-installation of workstation in Ranchi and economy measures.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹132.02 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 13 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of ₹132.02 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 11 percent and 13 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं" - ₹147.58 लाख का अधिक व्यय (₹360.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3475" – "Other Expenditure – Competition Appellate Tribunal (CAT)" – excess of ₹147.58 lakhs (against the

अधिवक्ताओं एवं एसटीसी भवन के लंबित बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

sanctioned provision of ₹360.40 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary and to clear pending bills of advocates and STC building.